Annexure - 2

प्रेषक,

मण्डलीय सहायक [illegible] (बेसिक)
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,
रहीमिया पब्लिक जू0हा0स्कूल,
काजीपाडा (बिजनौर)।

पत्रांक / स्था0मा0 / 262-66 / 2008-09 दिनांक : 09-05-2008

विषय : विद्यालय को जू0हा0स्कूल स्तर की स्थाई मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या / 646 / 15-06-97-10 एस (7) दिनांक 13-08-1997 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को कक्षा-6 से कक्षा-8 तक स्थाई मान्यता यह आदेश निर्गत होने की तिथि से इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि अवैधानिक कक्षायें संचालित न की जाये, तथा तीन माह के अन्दर विज्ञान / गणित के अध्यापक की नियुक्ति करके अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें। निर्धारित अवधि में विज्ञान / गणित के अध्यापक की नियुक्ति न करने की दशा में आपके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग की अनुमति प्रदान की जाती है।

शासनादेश में निहित मानको के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होंगे।

प्रधानाध्यापक	एक पद
सहायक अध्यापक	चार पद (इनमें भाषा / प्रसार / क्राफ्ट / विज्ञान अध्यापक सम्मिलित माने जायेंगे)
लिपिक	एक पद
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	एक पद

शासकीय / विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश को होगा।

भवदीय

(एस0पी0एस0 त्यागी)
मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

पृ0सं0 / स्था0मा0 / 262-66 / 2008-09 उसी तिथि को

प्रतिलिपि - निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संयुक्त शिक्षा निदेशक, द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद।
4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद / बिजनौर।

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

Scanned with CamScanner